



हैदराबाद में 19 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित
प्राधिकरण की 125वीं बैठक
MINUTES OF THE 125th
MEETING OF THE AUTHORITY
held on 19th March 2024 at 11.00 AM at Hyderabad

उपस्थित:

अध्यक्ष	श्री देबाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री थॉमस देवसिया
पूर्णकालिक सदस्य	श्री बी. सी. पटनायक
पूर्णकालिक सदस्य	श्री राजय कुमार सिन्हा
अंशकालिक सदस्य	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला
अंशकालिक सदस्य	सीए रणजीत कुमार अग्रवाल (आभासी पद्धति)

साथ ही उपस्थित:

पदनामित अधिकारी	श्रीमती बी. पद्मजा
बोर्ड सचिवालय	श्री रोनंकी वेंकटेश

Present:

Chairman	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Shri Thomas Devasia
Whole-time Member	Shri B.C Patnaik
Whole-time Member	Shri Rajay Kumar Sinha
Part-time Member	Dr. Maruthi Prasad Tangirala
Part-time Member	CA Ranjeet Kumar Agarwal (Virtual Mode)

Also present:

Designated Officer	Smt. B Padmaja
Board's Secretariat	Shri Ronanki Venkatesh

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने श्री राजय कुमार सिन्हा, जो पूर्णकालिक सदस्य (वित्त व निवेश) के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार बैठक में उपस्थित हो रहे हैं, का स्वागत किया। अध्यक्ष ने श्रीमती एस. एन. राजेश्वरी, जो 3 मार्च, 2024 तक प्राधिकरण की पूर्णकालिक सदस्य थीं, तथा सीए अनिकेत सुनीत तलाटी, भूतपूर्व अंशकालिक सदस्य, जिनका कार्यकाल आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में 12 फरवरी, 2024 को समाप्त हुआ, के योगदान को अभिलेखबद्ध किया। उन्होंने सीए रणजीत कुमार अग्रवाल, आईसीएआई के पदधारी अध्यक्ष जो प्राधिकरण की बैठक में पहली बार उपस्थित हो रहे हैं, का हार्दिक स्वागत किया। यह जानने के बाद कि आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, अध्यक्ष महोदय ने विचार-विमर्श प्रारंभ किया।

अपने प्रारंभिक उद्घोषण में अध्यक्ष ने फरवरी, 2024 तक संगृहीत प्रीमियम के तौर पर उद्योग के कार्यनिष्पादन का उल्लेख किया जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर के साथ रु. 9.70 लाख करोड़ था। जबकि जीवन बीमाकर्ताओं ने 5.19% पर वृद्धि की, साधारण बीमाकर्ताओं ने 13.08% पर वृद्धि की, तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में वृद्धि दर 20% रही जहाँ पाँच स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 27% की वृद्धि दर दर्ज की। 31 दिसंबर, 2023 को उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (एयूएम) पिछले वर्ष की रु. 59 लाख करोड़ की तुलना में लगभग रु. 64 लाख करोड़ हैं। 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार एफडीआई अंतर्वाह रु. 53,901 करोड़ है जहाँ बीमा कंपनियाँ रु. 38,269 करोड़ लाई और एफआरबी द्वारा रु. 15,632 करोड़ लाये गये।

उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि विनियमों की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में प्रबंधन व्ययों से संबंधित एक विनियम अधिसूचित किया गया है। अन्य आठ विनियम आज की बैठक में कार्यसूची के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत हैं। तदुरपांत, कार्यसूची की मदों पर विचार किया गया।

4. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) की पहचान

यह प्रस्तुत किया गया कि 20 दिसंबर, 2019 को आयोजित प्राधिकरण की 107वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार डी-एसआईआईएस की पहचान की प्रक्रिया एक वार्षिक प्रयोग के रूप में संचालित की गई जिसमें 15% की प्रारंभिक उपलब्धि (स्कोर) से युक्त बीमाकर्ताओं को डी-एसआईआईएस के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। इसी पद्धति में निम्नलिखित बीमाकर्ताओं को डी-एसआईआईएस के रूप में नामोद्दिष्ट करने का प्रस्ताव है:

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. भारतीय साधारण बीमा निगम
3. दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

4.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

5. आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024

5.1 विनियमों के प्रारूप के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें निम्नलिखित विनियमों को विलयित करने का प्रस्ताव किया गया:

1. आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015
2. आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2015

5.2 इस बात पर बल विशेष दिया गया कि इन विनियमों का उद्देश्य उस न्यूनतम ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय को विनिर्दिष्ट करना है जिसका जोखिम-अंकन करना बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी के अंतर्गत बीमाकर्ताओं के लिए अपेक्षित है तथा उस न्यूनतम अन्य पक्ष मोटर बीमा व्यवसाय को विनिर्दिष्ट करना है जिसका जोखिम-अंकन करना साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32डी के अंतर्गत अपेक्षित है। प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किये गये।

5.3. उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

6. आईआरडीएआई (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थान) विनियम, 2024

6.1 यह प्रस्तुत किया गया कि बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थान, एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना सभी बीमा हितधारकों के लिए एक स्थान पर समग्र सेवा समाधान के रूप में परिकल्पित है। प्रस्तावित विनियम बीमा सुगम की स्थापना, अभिशासन और कार्यपद्धति के लिए विनियामक रूपरेखा की दिशा में स्थूल सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

6.2 इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इन विनियमों का उद्देश्य बीमा सुगम के लिए एक विनियामक रूपरेखा निर्धारित करना है जो 2047 तक सभी के लिए बीमा की परिदृष्टि (विजन) की प्राप्ति को सुसाध्य बनायेगी। इसका उद्देश्य बीमा का सार्वजनीकरण और लोकतंत्रीकरण तथा पालिसीधारकों का सशक्तीकरण भी है।

6.3 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

7. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024

7.1 उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें निम्नलिखित विनियमों का विलयन करने का प्रस्ताव किया गया:

1. आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022
2. आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022
3. आईआरडीएआई (समामेलन होने पर शेयरधारकों अथवा सदस्यों को क्षतिपूर्ति के निर्धारण की पद्धति) विनियम, 2021
4. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य प्रकार का व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015

5. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
 6. आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2013
 7. आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011
- 7.2** इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इसका उद्देश्य बीमाकर्ता के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के द्वारा बीमा क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देना, परिचालनों तथा व्यवसाय करने की सुगमता को सुसाध्य बनाना है। प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किये गये।
- 7.3** उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

8. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन) विनियम, 2024

8.1 उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें निम्नलिखित दिशानिर्देशों/परिपत्रों का विलयन करने का प्रस्ताव किया गया:

1. भारत में बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन हेतु दिशानिर्देश, 2016;
2. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2023;
3. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2023;
4. भारत में बीमाकर्ताओं के लिए प्रबंधकत्व (स्ट्यूअर्डशिप) कूट संबंधी संशोधित दिशानिर्देश, 2020; तथा
5. बीमा अधिनियम की धारा 48ए के अधीन सामान्य निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति अथवा निरंतरता के संबंध में जारी किये गये परिपत्र।

8.2 इस बात पर विशेष बल दिया गया कि उक्त विनियमों का उद्देश्य बीमाकर्ताओं के लिए अभिशासन की संरचना उपलब्ध कराना है जो अभिशासन के लिए सुदृढ़ और विवेकपूर्ण सिद्धांतों को अपनाती है। उक्त विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किये गये।

8.3 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

9. आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2023

9.1 उक्त विनियमों के प्रारूप पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें निम्नलिखित विनियमों का विलयन करने का प्रस्ताव किया गया:

1. आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015
2. आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015
3. आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015
4. आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016
5. आईआरडीएआई (यूनिट सहबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019

6. आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019

9.2 इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं को समाज के विभिन्न खंडों/स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नवोन्मेष उत्पादों का अभिकल्पन करने, पालिसीधारकों को अधिक व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने; पालिसीधारकों के हितों का ध्यान रखने के साथ ही, बाजार के गति-सिद्धांत के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए समर्थ बनाते हुए उनके लिए व्यवसाय करने की सुगमता को सुसाध्य बनाना है।

9.3 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

11. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024

11.1 उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें निम्नलिखित विनियमों का विलयन करने का प्रस्ताव किया गया:

1. आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015
2. आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016

11.2 इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इसका उद्देश्य भारत में पुनर्बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि को बढ़ावा देना, भारत में पुनर्बीमा परिचालनों में लगी हुई संस्थाओं का नियंत्रण करनेवाले विभिन्न पहलुओं से संबंधित वर्तमान विधिक और विनियामक ढाँचे का संवर्धन करना और उनमें सामंजस्य स्थापित करना है। प्रस्तावित परिवर्तन स्पष्ट किये गये।

11.3 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

12. अग्नि, मोटर और इंजीनियरिंग, कर्मकार प्रतिकर और बीमा व्यवसाय की अन्य श्रेणियों से संबंधित वर्तमान प्रशुल्कों की अधिसूचना निरस्त करना

12.1 यह प्रस्तुत किया गया कि अग्नि, इंजीनियरिंग, मोटर, कर्मकार प्रतिकर के लिए लागू प्रशुल्क 1 जनवरी, 2007 से प्रत्याहरित (विद्वान) किये गये थे। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अधीन यह अधिसूचित किया गया कि लाभों, निबंधनों और शर्तों (प्रीमियम/ रेटिंग से संबंधित को छोड़कर अन्य) के सामान्य विनियमन का उपर्युक्त व्यवस्थाओं और मरीन हल के लिए लागू होना जारी रहेगा। बीमा अधिनियम, 1938 की संशोधित धारा 64यूएलए के अनुसार दरें, लाभ, निबंधन और शर्तें तब तक प्रचलित रहेंगी जब तक प्राधिकरण द्वारा उनकी अधिसूचना को निरस्त नहीं किया जाता।

12.2 प्रशुल्क एवं अग्नि और संबद्ध जोखिमों की स्थिति में लाभों, निबंधनों और शर्तों के सामान्य विनियमन की अधिसूचना 28 दिसंबर, 2020 को निरस्त की गई थी। सभी जोखिमों में लाभों, निबंधनों और शर्तों के सामान्य विनियमन में विवाचन खंड के संबंध में उपबंधों की अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी, 2024 की अधिसूचना के द्वारा निरस्त की गई है।

12.3 चूँकि उत्पाद अभिकल्पन, रेटिंग, उत्पाद प्रबंध और अन्य संबंधित पहलुओं को नियंत्रित करनेवाली सभी प्रक्रियाएँ आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 के अनुसार आशोधित की

जा रही हैं, अतः साधारण बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सभी वर्तमान प्रशुल्कों की अधिसूचना को 1 अप्रैल, 2024 से निरस्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

12.4 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

13. 2022-23 के लिए वार्षिक लेखा-विवरण

13.1 यह प्रस्तुत किया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईआरडीएआई के वार्षिक लेखा विवरण प्रारंभिक लेखा-परीक्षा के दौरान जारी की गई पूछताछ का विधिवत् समाधान करने के उपरांत सीएण्डएजी को प्रस्तुत किया गया। पूर्व में सीएण्डएजी से प्राप्त सूचना के अनुसार, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों को विचारार्थ और अंगीकरण किये जाने के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव किया गया कि सीएण्डएजी से प्राप्त होनेवाले अतिरिक्त प्रश्नों का समाधान करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाए तथा वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकरण के प्रमाणित वार्षिक लेखों का विवरण अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया जाए।

13.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

14. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट

14.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें बीमाकर्ताओं से शुल्क में पंजीकरणों में वृद्धि के कारण 13.53% वृद्धि होने का अनुमान है तथा सकल प्रीमियम और कुल प्राप्तियों के रु. 233 करोड़ होने का अनुमान है। राजस्व बजट की प्रमुख पंक्ति की मदों में विज्ञापन और जागरूकता अभियानों को आबंटित रु. 50 करोड़ शामिल हैं तथा रु. 9.65 करोड़ आईटी-एएमसी को आबंटित किये गये हैं। कैपेक्स के अंतर्गत, रु. 18.95 करोड़ पाँच वर्षों के लिए मुख्य नेटवर्क पुनश्चर्या (रिफ्रेश) प्रभारों हेतु आईटी को आबंटित किये गये। रु. 7.20 करोड़ के निवल अधिशेष सहित कुल व्यय का अनुमान रु. 341.12 करोड़ पर किया गया।

14.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

15. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

15.1 उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें निम्नलिखित विनियमों का विलयन करने का प्रस्ताव किया गया:

1. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
2. आईआरडीए (अधिशेष के वितरण) विनियम, 2002
3. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
4. आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
5. आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकिक) विनियम, 2022

6. आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016
7. आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
8. आईआरडीएआई (विवरणियों के निरीक्षण और प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015
9. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण या अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016

15.2 इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इन विनियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों के प्रभावी निर्वहण के लिए सुदृढ़ और अनुक्रियाशील प्रबंध प्रथाएँ लागू हों; बीमाकर्ताओं की स्थिति (स्टेट आफ अफेयर्स) का एक सही और उचित दर्शन प्रस्तुत करने के लिए विनियामक विवरणियाँ लागू मानकों, सिद्धांतों और नीतियों के अनुसार तैयार की जाएँ और सूचित की जाएँ। समेकित विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किये गये।

15.3 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

16. आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण और बीमाकर्ताओं के संबद्ध कार्य) विनियम, 2024

16.1 उक्त विनियमों के प्रारूप के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें निम्नलिखित विनियमों का विलयन करने का प्रस्ताव किया गया:

1. आईआरडीए (प्रीमियम की प्राप्ति की पद्धति) विनियम, 2002
2. आईआरडीएआई (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2015
3. आईआरडीएआई (नामांकन का निरसन या परिवर्तन पंजीकृत करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
4. आईआरडीएआई (समनुदेशन या अंतरण की सूचना मिलने की लिखित प्राप्ति-सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
5. आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016
6. आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं के द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017
7. आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017
8. आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021

16.2 इस बात पर विशेष बल दिया गया कि इन विनियमों का उद्देश्य संभावित ग्राहकों और पालिसीधारकों के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना; पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण; बीमाकर्ताओं के लिए प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था लागू करना; बीमाकर्ताओं के बाह्यस्रोतीकरण कार्यकलापों पर प्रभावी निगरानी के लिए तथा बीमाकर्ताओं के द्वारा व्यवसाय के स्थान खोलने और बंद

करने के संबंध में प्रभावी निगरानी के लिए ढाँचा निर्धारित करना है। समेकित विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन प्रस्तुत किये गये।

16.3 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद

1. बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) में रिक्त पदों को भरना।

उक्त आईएसी में दो नये सदस्यों को शामिल करने के संबंध में एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई। उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

2. आगे यह भी विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि राजपत्र में प्रकाशन से पहले विनियमों/अधिसूचनाओं के प्रस्तावित प्रारूप में संपादकीय परिवर्तन, यदि कोई हों, करने के लिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया जाए।

The Chairman extended a warm welcome to all the Members present. He welcomed Shri Rajay Kumar Sinha, who was attending the meeting for the first time after his appointment as Whole-time Member (F&I). The Chairman placed on record contributions of Smt. S.N. Rajeswari, who was the Whole-time Member of the Authority until 3rd March 2024 and CA Aniket Sunit Talati, former Part-time Member, whose tenure ended as President of ICAI on 12th February 2024. He extended warm welcome to CA Ranjeet Kumar Agarwal, the incumbent President of ICAI who is attending the Authority's meeting for the first time. After ascertaining that the requisite quorum was present, Chairman started the deliberations.

In his brief opening remarks, the Chairman touched upon the industry's performance in terms of premium garnered upto February 2024 which was ₹ 9.70 lakh crore with a growth rate of 7.2% over the corresponding period previous year. While the life insurers grew at 5.19%, general insurers grew at 13.08%, the growth rate in the health segment was 20% with the five standalone health insurers recording a growth rate of 27%. The Assets Under Management (AUM) of the industry as on 31st December 2023 are around ₹ 64 lakh crore as compared to ₹ 59 lakh crore last year. The FDI inflow as on 31st December 2023 is ₹ 53,901 crore with insurance companies bring in ₹ 38,269 crore and FRBs bringing in ₹ 15,632 crore.

He further elaborated that as part of the comprehensive review of Regulations, one Regulation on expenses of management has been notified. Another eight Regulations are being taken up as agenda in the days meeting. Thereafter, agenda items were taken up.

4. Identification of Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs)

4.1 It was presented that as decided in the 107th Authority meeting held on 20th December, 2019, the process of identification of D-SIIs is carried out as an annual exercise in which insurers with the threshold score of 15% have been designated as D-SII. On the same lines, the following insurers are proposed to be designated as D-SII:

1. Life Insurance Corporation of India
2. General Insurance Corporation of India
3. The New India Assurance Co. Ltd.

4.2 The agenda was approved.

5. IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024

5.1 A presentation was made on the draft regulations wherein the following Regulations were proposed to be merged:

1. IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015
2. IRDAI (Obligations of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015

5.2 It was highlighted that the objective of these Regulations is to specify minimum rural and social sector business that the insurers are required to underwrite under section 32B and 32C of the Insurance Act, 1938 and minimum third-party motor insurance business that the insurer carrying on general insurance business is required to underwrite under section 32D of the Insurance Act, 1938. Changes proposed were presented.

5.3 The agenda was approved.

6. IRDAI (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024

6.1 It was presented that Bima Sugam – Insurance Electronic Marketplace, a Digital Public Infrastructure, is envisaged to be a one-stop solution for all Insurance stakeholders. The proposed regulations lay down broad principles towards regulatory framework for establishment, governance and functioning of Bima Sugam.

6.2 It was highlighted that the objective of these Regulations is to laydown a regulatory framework for Bima Sugam which would facilitate achievement of vision of Insurance for all by 2047. It is also aimed at universalisation and democratisation of insurance and empowering the policyholders.

6.3 The agenda was approved.

7. IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Indian Insurance Companies) Regulations, 2024

7.1 A presentation was made on the draft regulations wherein the following Regulations were proposed to be merged:

1. IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022
2. IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2022
3. IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021
4. IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance business) Regulations, 2015
5. IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015
6. IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013

7. IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011

7.2 It was highlighted that the objective was to promote growth of insurance sector by simplifying the process of registration of insurer, facilitate ease of operations and ease of doing business. Changes proposed were presented.

7.3 The agenda was approved.

8. IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024

8.1 A presentation was made on the draft regulations wherein the following Guidelines/Circulars were proposed to be merged:

1. Guidelines for Corporate Governance for Insurers in India, 2016;
2. IRDAI (Remuneration of Non-Executive Directors of Insurers) Guidelines, 2023;
3. IRDAI (Remuneration of Key Managerial Persons of Insurers) Guidelines, 2023;
4. Revised Guidelines on Stewardship Code for Insurers in India, 2020, and
5. Circulars issued on Appointment or Continuation of Common Director(s) u/s 48A of Insurance Act.

8.2 It was highlighted that the objective of the Regulations is to provide the governance structure for Insurers which adopts sound and prudent principles and practices for governance. Changes proposed in the Regulations were presented.

8.3 The agenda was approved.

9. IRDAI (Insurance Product) Regulations, 2023

9.1 A presentation was made on the draft regulations wherein the following Regulations were proposed to be merged:

1. IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015
2. IRDAI (Minimum Limits for Annuities and Other Benefits) Regulations, 2015
3. IRDAI (Acquisition of Surrender and Paid up Values) Regulations, 2015
4. IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016
5. IRDAI (Unit Linked Insurance Products) Regulations, 2019
6. IRDAI (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019

9.2 It was highlighted that the objective was to facilitate ease of doing business for the insurers; enabling them to design innovative products to cater to the requirements of different segments/strata of the society and provide wider choices to the policyholders; respond quickly to the market dynamics while also considering the interests of policyholders.

9.3 The agenda was approved.

11. IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024

11.1 A presentation was made on the draft regulations wherein the following regulations are proposed to be merged:

1. IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015
2. IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016

11.2 It was highlighted that the objective was to promote orderly growth of the reinsurance sector in India, to promote and harmonize the current legal and regulatory framework in relation to the various aspects governing entities engaged in reinsurance operations in India. Changes proposed were explained.

11.3 The agenda was approved.

12. Denotification of extant Tariffs pertaining to Fire, Motor and Engineering, Workmen's Compensation and other classes of insurance business

12.1 It was presented that tariffs applicable to Fire, Engineering, Motor, Workmen's Compensation were withdrawn effective from 1st January 2007. Under Section 14 (2) (i) of IRDA Act, 1999, it was notified that the general regulation of advantages, terms and conditions (other than those relating to premium/rating) would continue to be applicable to above lines and Marine Hull. As per the amended section 64ULA of Insurance Act 1938, rates, advantages, terms and conditions shall be in-force till they are de-notified by the Authority.

12.2 Tariff and the general regulation of advantages, terms and conditions in case of Fire and Allied perils were de-notified on 28th December 2020. Provisions as regards arbitration clause in general regulation of advantages, terms and conditions in all risks were de-notified vide notification dated 22nd January 2024.

12.3 As the procedures governing product design, rating, product management and other related aspects are being modified vide IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024, de-notification of all existing tariffs under General Insurance Business is being proposed w.e.f 1st April 2024.

12.4 The agenda was approved.

13. Annual Statement of Accounts for 2022-23

13.1 It was presented that the IRDAI Annual Statement of Accounts for FY 2022-23, after duly addressing enquiries issued during preliminary audit, was submitted to C&AG. Separate Audit report of C&AG is awaited. As per the communication from C&AG earlier, the audited annual accounts need to be placed before the Authority for consideration and adoption. It was proposed that the Chairman be authorized to address further queries, if any, from C&AG and forward the C&AG certified Annual Statement of Accounts of the Authority for the year 2022-23 together with the Separate Audit Report to the Central Government.

13.2 The agenda was approved.

14 Budget for the Financial year 2024-25

14.1 Budget for FY 2024-25 was presented wherein fee from insurers was estimated to increase by 13.53% due to increase in registrations and gross premium and the total receipts is estimated to be ₹ 233 crore. Major line items of Revenue Budget included ₹ 50 crore allotted to advertisement and awareness campaigns and ₹ 9.65 crore allotted to IT-AMC. Under Capex, ₹ 18.95 crore was allotted to IT towards core network refresh charges for five years. The total expenditure was estimated at ₹ 341.12 crore with net surplus of ₹ 7.20 crore

14.2 The agenda was approved.

15. IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024

15.1 A presentation was made on the draft regulations wherein the following Regulations were proposed to be merged:

1. IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
2. IRDA (Distributions of Surplus) Regulations, 2002
3. IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016
4. IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016
5. IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022
6. IRDAI (Investment) Regulations, 2016
7. IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002
8. IRDAI (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015
9. IRDAI (Loans or Temporary Advances to Full Time Employees of the Insurers) Regulations, 2016

15.2 It was highlighted that the objective of these Regulations is to ensure that sound and responsive management practices are in place for effective discharge of actuarial, finance and investment functions; regulatory returns are prepared and reported in accordance with applicable standards, principles and policies, to provide a true and fair view of state of affairs of the insurers. Changes proposed in the consolidated regulations were presented.

15.3 The agenda was approved.

16. IRDAI (Protection of Policyholders' Interests and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024

16.1 A presentation was made on the draft regulations wherein the following Regulations were proposed to be merged:

1. IRDA (Manner of Receipt of Premium) Regulations, 2002
2. IRDAI (Places of Business) Regulations, 2015
3. IRDAI (Fee for Registering Cancellation or Change of Nomination) Regulations 2015
4. IRDAI (Fee for Granting Written Acknowledgement of Receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015
5. IRDAI (Issuance of e-Insurance Policies) Regulations, 2016
6. IRDAI (Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017
7. IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017
8. IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021

16.2 It was highlighted that the objective of these Regulations is to ensure fair treatment of prospects and policyholders; protection of policyholders' interests; to have effective grievances redressal mechanism in place for insurers; to laydown framework for effective oversight on outsourcing activities of insurers and opening and closing of places of business by insurers. Changes proposed in the consolidated Regulations were presented.

16.3 The agenda was approved.

Any other item with the permission of the Chair

1. Filling vacancies in the Insurance Advisory Committee (IAC)

An agenda item was submitted on inclusion of two new members in the IAC. The agenda was approved.

2. It was further deliberated and decided that the Chairman be authorised to carry out editorial changes, if any, to the proposed draft of Regulations/Notifications before their publication in the Gazette.